HINDUSTAN, Dehradun, 13.8.2017
Page No. 3, Size:(17.57)cms X (8.15)cms.

आधार और पैन की जानकारी लीक की तो होगी जेल

देहरादून | प्रमुख संवाददाता

सरकारी योजनाओं के लिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी जानकारियां लेने के बाद अफसरों को उसे कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। यदि आधार कार्ड, बैंक खाते आदि से संबंधित जानकारियां किसी भी स्तर से लीक होती हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के महकमों ने आईटी एक्ट और आधार एक्ट के अनुसार गाइड लाइन जारी करना शुरू कर दिया।

केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ समय पहले मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने राज्य के सभी विभागों को आइंटी एक्ट और आधार एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि आम आदमी का आधार, बैंक आदि से जुड़ी जानकारियों ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी सूरत में लीक न होने पाए।

तीन साल की कैद

आईटी और आधार एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने को दंडात्मक अपराध माना गया है। इस स्थिति में दोषी व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत तीन साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

डाटा लीक होने की वजह से उठाया कदम

हालिया कुछ समय में ऑनलाइन ठगी, बैंक अधिकारी बनकर लोगों खातों की जानकारी लेकर ठगी के मामले तेजी से प्रकाश मे आए हैं। जांच करने पाया गया कि आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारियों सरकारी महकमों के स्तर से भी लीक हो जाती है। कई सरकारी विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाते समेत विभिन्न जानकारियां लेते हैं। आधार कार्ड तो पेंशन-सब्सिड़ी वाली हर योजना के लिए अनिवार्य किया जा चुका है। यह सभी डाटा ऑनलाइन दर्ज होता है। शरारती तत्व इसका फायदा उठा लेते हैं।

आयुर्वेद विभाग ने जारी किए आदेश

आयुर्वेद निदेशक प्रो.अरुण कुमार त्रिपाठी ने आईटी और आधार एक्ट को लेकर विभागीय अधिकारियों को गाइड लाइन जारी कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाए। सभी जिला आयुर्वेदिक-यूनानी अधिकारियों को इराके लिए विस्तृत दिशानिर्देश दे दिए गए हैं।